

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Nitin Singh Bhadauria** I.A.S deputy commissioner, **Almora** on dated 11/05/2018 at timeat Collectriate in which application claiming rights in Forest area measuring **0.753** hect for the construction of **Khida Maludhar via chuleraseem link motor road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Chaukhutia** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

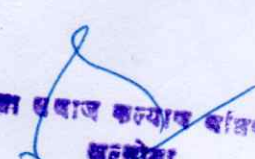
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Almora

Dated: 11/05/2018


Dputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


अधिशसी अभियन्ता
पी०एस०जी०एस०वाई खण्ड
सी०नि०वि० द्वाराहाट
जनपद-अल्मोड़ा


जनपद अल्मोड़ा
विकास

(वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

Annexure-1

Form -1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Almora

No.

Deated...11/09/2018...

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.753** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand for **Khida Maludhar via Chuleraseem link** Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of **Maludhar and Chuleraseem** villages(s) in **Chaukhutia** tehsils.

It is further certified that :

- (g) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **0.753** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to 30.3.
- (h) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (i) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural Communities.

End : As above.

निम्ना उल्लेख कल्याण बाबुबाबा
अवधोदा

Signature

निम्ना अधीकार
प्रत्यक्ष

(Full Name and Official Seal of the District Collector)

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खीड़ा-मालधार बाग्रा चुबेरासेम
मोटर मार्ग का नवनिर्माण लम्बाई 6.00 किमी

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चौखुटिया

उपखण्ड चौखुटिया परिक्षेत्र के अन्तर्गत खीड़ा-मालधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु
(0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.613 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.140 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.173 हे०
वन भूमि) का उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,
(तहसील चौखुटिया) की दिनांक 29/8/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजा अब्बास, उप जिलाधिकारी एवं
अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति
निम्नानुसार है-

- 1- श्री राजा अब्बास उपजिलाधिकारी चौखुटिया अध्यक्ष
- 2- श्री पूर्वीराज सिंह बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी दारासत सदस्य
- 3- श्री रणजीत सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी चौखुटिया सदस्य
- 4- श्रीमती रतुष्ठी अधिकारी वि० ख० चौखुटिया (अल्मोड़ा) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की
कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि खीड़ा-मालधार बाग्रा चुबेरासेम मोटर
मार्ग लम्बाई 6.00 किमी (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत)

परियोजना हेतु 1.173 हे० वन भूमि
उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये
जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की
गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चौखुर्गिया परिक्षेत्र के अन्तर्गत खीड़ा-भालधार-वाघा चौलेशसेम परियोजना के निर्माण हेतु ०.753 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—चौखुर्गिया
जनपद—अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—चौखुर्गिया
जनपद—अल्मोड़ा

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

खीड़ा - माबूधार बाग्रा चुल्हेसेम मोटर मार्ग का निर्माण,
 लम्बाई 4.075 किमी (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चुलोडी

तहसील चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खीड़ा-माबूधारबाग्रा चुल्हेसेम मार्ग परियोजना

के निर्माण हेतु (..... 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.613 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.140 हे०, वन पंचायत भूमि हे०) अर्थात् कुल 1.173 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चुलोडी द्वारा दिनांक 11-08-18 को

सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चुलोडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
 ग्राम सचिव
 मुहर सहित

ग्रा० पंच विकास अधिकारी
 क्षेत्र चुलोडी
 वि० ख० चौखुटिया

ह०/-
 ग्राम प्रधान/संस्था
 मुहर सहित

खीड़ा अधिकारी
 सदस्य

क्षेत्र पंचायत खजूरानी
 वि. ख. चौखुटिया (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-30.4

दिनांक 11.08.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- चुलेरासेम (मावधार)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपालसिंह बिष्ट	गोपालसिंह बिष्ट
2	उत्तमसिंह	उत्तमसिंह
3	हरी राम	हरी राम
4	ध्यानसिंह नेमी	ध्यान
5	जसवंतसिंह	जसवंतसिंह
6	मोहनसिंह	मोहनसिंह
7	गंगासिंह	विश्वनाथसिंह
8	दानासिंह	दानासिंह
9	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
10	राम राम	राम राम
11	गोविन्दसिंह रावत	गोविन्दसिंह रावत
12	आनन्दसिंह	आनन्दसिंह
13	पानासिंह	पानासिंह
14	अनूपसिंह	अनूपसिंह
15	राजेंद्र सिंह	राजेंद्र सिंह
16	प्रेमसिंह	प्रेमसिंह
17	नारायणसिंह	नारायणसिंह
18	भावना देवी	भावना देवी
19	अनसिंह	अनसिंह
20	पार्वती देवी	पार्वती देवी

- 60/-
रमेश राम
प्रधान
ग्राम पंचायत चुलेरासेम
वि०ख० चौखुटिया (अल्मोड़ा)